धारा 270कक के तहत प्रदान की गई प्रतिरक्षा पर स्पष्टीकरण

परिपत्र संख्या 5/2018 [F.NO.370149/155/2018-TPL], दिनांक 16-8-2018

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 270कक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 2017 से मूल्यांकन अधिकारी, किसी करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 270ए के तहत जुर्माना लगाने (गलत रिपोर्टिंग के लिए जुर्माना नहीं) और धारा 276सी या धारा 276सीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने से छूट दे सकता है, जो उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

2. ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि जहां कोई करदाता अधिनियम की धारा 270एए के तहत उन्मुक्ति की मांग करते हुए आवेदन करता है, और पिछले वर्ष(वर्षों) में अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत उसी मुद्दे पर जुर्माना लगाया गया है, तो आयकर प्राधिकारी यह तर्क दे सकते हैं कि करदाता ने अधिनियम की धारा 270एए के तहत उन्मुक्ति की मांग करके ऐसे पिछले वर्ष(वर्षों) में मुद्दे पर सहमति जताई है और इसलिए, अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माने की कार्यवाही में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना सकता है।

3. इस मामले में, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई करदाता अधिनियम की धारा 270कक के तहत उन्मुक्ति की मांग करते हुए आवेदन करता है, तो यह ऐसे करदाता को किसी भी पिछले कर निर्धारण वर्ष में उसी मुद्दे पर चुनौती देने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा, आयकर प्राधिकरण पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों में अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माने की कार्यवाही में केवल इस आधार पर प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा कि करदाता ने अधिनियम की धारा 270कक के तहत ऐसे मुद्दे पर उन्मुक्ति को प्राथमिकता देते हुए किसी बाद के कर निर्धारण वर्ष में इस मुद्दे पर सहमति दे दी है।

■■